पत्रांकः—वन भूमि—58/2023...................../प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

अभय कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक..........................

विषय :— कैमूर जिलान्तर्गत मुण्डेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.3094 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि कैमूर जिलान्तर्गत मुण्डेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.3094 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, कार्य प्रमंडल, पटना द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अपयोजित होने वाली वन भूमि कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी अंतर्गत की प्राकृतिक वन भूमि है। कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी अंतर्गत अपयोजित होने वाली 1.309 हे० वन भूमि के लिये राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद् की स्थायी समिति की 72वीं बैठक दिनांक—25.04.2023 में की गयी अनुशंसाओं के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के पत्रांक—373, दिनांक—06.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा भाग—II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल Archeological Heritage Site है। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी के पत्रांक—675 दिनांक—22.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के पत्रांक—231 दिनांक—29.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग का अधिसूचना संख्या—1160 दिनांक—20.07.1979 के अंतर्गत कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी के रूप में अधिसूचित है।

परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 183 वृक्षों में से 60 से०मी० तक परिधि के पौधों का पातन नहीं किया जायेगा तथा इन पौधों को वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर के निदेशानुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Translocate किया जायेगा। 60 से०मी० से अधिक परिधि के वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.4 अंकित किया गया है।

कुल—1.3094 हे० वन भूमि अपयोजन के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा निर्गत कुल—1.309 हे0 के लिए FRA, 2006 प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न है तथा प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट भी संलग्न है।

परियोजना का निर्माण प्राकृतिक वन भूमि में होना है। तद्आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की दी जाने वाली समतुल्य गैर वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भगवानपुर अंचल अंतर्गत मौजा—टोड़ी, थाना संख्या—366,

खाता संख्या–643 चक, 462 आर.एस. खेसरा संख्या–590 चक, 473 आर.एस. कुल रकवा–6.43 एकड़ जंगल झाड़ी अनाबाद बिहार सरकार चिन्हित की गयी है। चिन्हित गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 25,75,865/– का प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ सलंग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना में आश्रयणी अंतर्गत अपयोजित होने वाली 1.3094 हे० वन भूमि के लिये रू० 12.28590 लाख प्रति हे० अर्थात रू० 16,08,716/–(सोलह लाख आठ हजार सात सौ सोलह रूपये) मात्र X 5 के दर से कुल रू० 80,43,580/– (अस्सी लाख तैलालीस हजार पाँच सौ अस्सी रूपये) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. चिन्हित गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 25,75,865/– का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. परियोजना निर्माण के क्रम में 60 से.मी. तक परिधि के पौधों का पातन नहीं किया जायेगा, इन पौधों को वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर के निदेशानुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Translocate किया जायेगा। 60 से.मी. से अधिक परिधि के वृक्षों का पातन किया जाना है।
5. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1580/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–58/2023................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, कार्य प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–58/2023 151 (8) /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

13/3/24

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-272

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 1.3094 ha. forest land for Construction of Ropeway Project under Kaimur District may be sanctioned subject to the condition/ stipulation mentioned in the forwarding letter
	Signature:-
	Name of Designation:- अपर सचिव
Date:- 13/3/24	
Place:- PATNA	Official Seal:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना